

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज  
**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-I, U.P., PRAYAGRAJ**

संख्या : प्रशासन विधिक/

दिनांक : 03.04.2025

**परिपत्र (CIRCULAR)**

कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यालय के ई-मेल दिनांक 18.03.2025 में वर्णित निर्देशानुसार भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा संबंधी सभी मामलो के लिए उपनियंत्रक और महालेखापरीक्षक (मानव सम्पदा-एच०आर०) सक्षम अधिकारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में इन सेवा मामलो से कोई सीधा संबंध नहीं है।

All Officers/Employees of this office are hereby informed that as per the instructions contained in the HQ's email dt.18.03.2025, Deputy Comptroller & Auditor General (Human Resources-HR) is the designated competent authority for all the service matters concerning to all officials of Indian Audit and Accounts Department. The Comptroller and Auditor General of India, as a Constitutional Authority has no direct relation with these service matters.

उप महालेखाकार/प्रशासन

संख्या : प्रशासन विधिक / 539 /TR-349

दिनांक : 03.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Copy forwarded to following for information and necessary action :-

01. सचिव, महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
Secretary to AG (A&E)-I & II, U.P., Prayagraj.
02. समस्त वर्गाधिकारी कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
All Group Officers, O/o the AG (A&E)-I & II, U.P., Prayagraj
03. समस्त शाखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/ अधिकारियों को उक्त आदेश से अवगत कराये।  
All Branch Officers, O/o the AG (A&E)-I & II, U.P., Prayagraj with the intention to make his/her subordinate employees / officers aware of the said order.
04. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई०टी०सी०जी० को कार्यालय की वेबसाइट पर होस्ट करने हेतु।  
Sr. AO/ITCG for hosting on office Website
05. महामंत्री, वरिष्ठ लेखाधिकारी एसोसिएशन।  
General Secretary, Senior Accounts Officer Association. .
06. सभी सूचना पट्ट।  
All information board.

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ विधिक